कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री सरोज ट्रेडकाम प्रा0 लि0, डी-46, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट-5, उद्योग कुंज, कानपुर ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**001 / 15, 09.01.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एस0 सी0 रस्तोगी, विद्वान अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री सरोज ट्रेडकाम प्रा0 लि0, डी-46, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट-5, कानपुर द्वारा दिनांक 09.01.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

Whether Heena based hair colour is covered under the said entry no.42 Part A of schedule II of the U.P. Vat Act.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री एस0 सी0 रस्तोगी, विद्वान अधिवक्ता कम्पनी उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि प्रार्थी dye, hair colour एवं अन्य वस्तुओं की खरीद-बिक्री का कार्य करते हैं । साथ ही साथ Natural Heena based Hair Colour की भी खरीद-बिक्री करते हैं। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की इन्ट्री संख्या-42 के अन्तर्गत ' सभी प्रकार की dye जो अन्यथा विज्ञप्ति में वर्णित न हों ', वे 4% + 1% additional tax 5% की दर से करयोग्य हैं । प्रार्थना-पत्र के साथ विक्रय की जाने वाली हिना बेस्ड हेयर कलर का सैम्पल भी प्रस्तुत किया गया ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय, कानपुर के पत्र संख्या-1316, दिनांक 11.02.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी कास्मेटिक हेयर डाई पाउडर, माउथ फ्रेशनर, मेंहदी पाउडर एण्ड कोन, पान मसाला एण्ड जर्दा, सिगरेट, कन्फैक्शनरी एवं टुबैको प्रोडक्ट हेतु पंजीकृत हैं । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-42 पर अंकित प्रविष्टि रंजक (डाइज़) से सम्बन्धित है । सामान्य प्रयोग में रंजक का प्रयोग ह्यूमन बॉडी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में होता है, जबकि व्यापारी द्वारा प्रयुक्त हिना बेस्ड हेयर कलर का प्रयोग सिर के बालों को प्राकृतिक स्वरूप देने के लिए किया जाता है । इस प्रकार कामन पारलेंस में डाइज़ व हिना बेस्ड हेयर कलर अलग-अलग वाणिज्यिक वस्तुएं हैं । हिना बेस्ड हेयर कलर कहीं भी वर्गीकृत न होने के कारण इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + अतिरिक्त कर की दर से कर आरोपित किया जाना उचित होगा ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-42 पर अंकित प्रविष्टि निम्न प्रकार है :-

All dyes not specified elsewhere in the schedule.

........2

<u>**सर्वश्री सरोज ट्रेडकाम प्रा0 लि0 / प्रा0 पत्र सं0-001 / 15 / धारा-59 / पृष्ठ-2**</u>

प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हिना बेस्ड हेयर कलर का जो सैम्पल प्रस्तुत किया गया है उसके पृष्ठ भाग पर ingredients की कोई सूची नहीं दी गयी है वरन् एक Declaration अंकित है, जिसके अनुसार Colour contain 2-Amino-4, 6-Dinitrophenol । इसके उपयोग के पूर्व skin sensitivity test की सलाह भी अंकित की गयी है । इससे स्पष्ट है कि यह मूल रूप से कैमिकलयुक्त कॉस्मेटिक्स है, जिसका उपयोग बालों को डाई करने एवं Conditioning करने में किया जाता है । पैकेट के मुख पृष्ठ पर Henna Hair Conditioning अंकित है । सामान्य रूप से प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा हेयर शैम्पू, हेयर कन्डीशनर्स एवं हेयर डाई बनाये जा रहे हैं तथा कॉस्मेटिक्स की भॉति ही इनका प्रयोग किया जाता है । प्रश्नगत वस्तु भी उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में एक प्रकार का कॉस्मेटिक्स है एवं विशुद्ध डाई नहीं है । डाई का शाब्दिक अर्थ रंगने का द्रव्य है तथा डाई का प्रयोग किसी भी वस्तु को रंगने हेतु किया जा सकता है । प्रश्नगत वस्तु बाल रंगने के साथ-साथ बाल का कैमिकल ट्रीटमेन्ट करते हुए उसकी कन्डीशनिंग भी करती है तथा इसका प्रयोग किसी भी सामान्य वस्तु को रंगने में नहीं किया जा सकता है । अत: विशुद्ध रूप से यह एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-42 से आच्छादित नहीं है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया तथा प्रस्तुत सैम्पल का अवलोकन किया गया । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-42 की प्रविष्टि-' All dyes not specified elsewhere in the schedule. ' है । प्रश्नगत हिना बेस्ड हेयर कलर उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में उक्त प्रविष्टि से आच्छादित नहीं है । अतएव Heena based hair colour उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत वर्गीकृत न होने के कारण इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 23 अक्टूबर, 2015

ह0 / 23.10.2015

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।